



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 नवम्बर, 2021
कार्तिक 13, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1147/ग्यारह-9(1)/2008-उ०प्र० अधि०-5-2008-आदेश (208)-2021
लखनऊ, 4 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-383

चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में तारीख 5 नवम्बर, 2021 से निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 3 एवं 4(ग) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र० सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	निर्माता या आयातकर्ता	19.36 प्रतिशत या ₹० 14.85 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो

1	2	3	4
4(ग)	डीजल ऑयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट, डीजल ऑयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन एक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम संख्या-4(क) एवं 4(ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त	निर्माता या आयातकर्ता	17.08 प्रतिशत या रु0 10.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1147/XI-9(1)/2008-U.P.Act-5-2008-Order (208)-2021, dated November 4, 2021 :

No. 1147/XI-9(1)/2008-U.P.Act-5-2008-Order (208)-2021

Dated Lucknow, November 4, 2021

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of Section 4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U. P. Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to make, with effect from November 5, 2021, the following amendment in Schedule-IV to the said Act :-

AMENDMENT

In the said Schedule, *for* entries at serial number 3 and 4(c), the following entries shall, column wise be *substituted*, namely :-

Sl. no.	Name and description of goods	Point of Tax	Rate of Tax
1	2	3	4
3	Petrol	Manufacturer or Importer	19.36% or Rs. 14.85 Per litre whichever is greater
4(c)	Diesel oil as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, 1939 in cases other than those described in serial nos. 4(a) and 4(b)	Manufacturer or Importer	17.08% or Rs. 10.41 Per litre whichever is greater

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 422 राजपत्र-2021-(949)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 35 सा0 राज्य कर-2021-(950)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।